

आदेश की क्रम
संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -126/2001-02

शेख मुस्लिम एवं अन्य बनाम 16 आना रैयत, मौजा-कास्ता।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-249/1983-84 में दिनांक-15.03.1991 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-249/1983-84 में दिनांक-15.03.1991 को पारित आदेश में शेख रब्बानी एवं अन्य द्वारा मौजा-कास्ता के दाग सं0-249, किस्म-झाटी जंगल के अंश रकवा के बंदोबस्ती हेतु दिये गये आवेदन को खारिज किया गया।

अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न मूल आवेदन, कागजातों एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय में शेख रब्बानी एवं अन्य द्वारा मौजा-कास्ता के दाग सं0-249, किस्म-झाटी जंगल के अंश रकवा की बंदोबस्ती हेतु किये गये अनुरोध का खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अपीलकर्ता का कहना है कि वे उक्त अपील की अग्रेतर कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं तदनुसार उनके द्वारा Withdrawal petition दाखिल किया गया है।

अतः अपीलकर्ता के द्वारा दाखिल किये गये Withdrawal petition एवं उनके अभिरुचि के अभाव में अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-249/1983-84 में दिनांक-15.03.1991 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
20/2/24